

[2024] 6 एससीआर 708: 2024 आईएनएससी 458

सुबोध सिंह

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6458/2024)

16 मई 2024

[न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

विचारार्थ मुद्दा

क्या अपीलकर्ता 84 महीनों की अवधि के लिए अधिनिर्णय के मूल्य के कम से कम 5 प्रतिशत की दर से भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए अतिरिक्त मुआवजे का हकदार है।

हेडनोट

**क्षतिपूर्ति-भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए अतिरिक्त मुआवजा -केवल दो महीने की देरी के लिए भुगतान-
अपीलकर्तार्थी ने 84 महीने की देरी के लिए भुगतान का दावा किया-औचित्य**

अभिनिर्धारित किया: प्रत्यर्थियों ने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(ई)(1) के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया था- प्रत्यर्थी द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में 08.02.2010 को एक अधिनिर्णय घोषित किया गया- 0.0624 हेक्टेयर भूमि का एक अंश छोड़ दिया गया था-उच्च न्यायालय ने 20.09.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को शेष 0.0624 हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त मुआवजे के साथ मुआवजा प्रदान करें - अतिरिक्त मुआवजे की गणना करते समय, प्रत्यर्थी ने विलंबित अवधि के लिए इसे दो महीने की अवधि तक सीमित कर दिया - अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह 84 माह की अवधि के लिए मुआवजे का हकदार था और कमला देवी और अन्य पर अवलम्ब लिया- इस न्यायालय ने नोट किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 18.09.2017 के आदेश में कमला देवी और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.07.2017 के आदेश का संदर्भ दिया गया है और यह दर्ज किया गया है कि प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, 0.0890 हेक्टेयर भूमि का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था, क्योंकि विषयगत परियोजना के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। - इसके बाद, बचे हुए क्षेत्र के संबंध में एक और अधिनिर्णय घोषित किया गया और भूमि मालिकों को 19.04.2012 से 12.09.2017 तक 66 महीने की अवधि के लिए अधिनिर्णय की राशि का 5% प्रति माह की दर से अतिरिक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुआवजा दिया गया- उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपीलार्थी के साथ उसके मामले में अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, प्रत्यर्थियों को भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए निर्धारित राशि पर विलंबित भुगतान को केवल दो महीने तक सीमित नहीं रखना चाहिए था - इस प्रकार, अपीलकर्ता को 84 महीनों की अवधि के लिए अधिनिर्णय के मूल्य के कम से कम 5 प्रतिशत की दर से भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए अतिरिक्त मुआवजे का हकदार माना जाता है। [पैरा 3,4,9,12]

उद्धृत केस कानून

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ भारत बनाम सुबोध सिंह [2011] 3 एससीआर 1160: (2011) 11 एससीसी 100- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय रेल अधिनियम, 1989

मुख्य शब्दों की सूची

क्षतिपूर्ति; अतिरिक्त मुआवजा; अधिनिर्णय; भुगतान में देरी; अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान; भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए अतिरिक्त मुआवजा।

निम्न मामले से उत्पन्न

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल याचिका संख्या 6458/2024

डब्ल्यूसी संख्या 39875/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 31.08.2017 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, आफताब रशीद, आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी, मंसूर अली खान, राहत अली चौधरी, एम. ए. मंसूरी।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अमरीश कुमार, श्रीमती इंदिरा भाकर, अनुज उदुपा, मनोज मिश्रा, चितवन सिंघल, पद्मेश मिश्रा, सौरभ मिश्रा, श्रीमय मिश्रा, अभिनव पांडे, राकेश चंदर, निर्भया एस तिवारी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 31 अगस्त, 2017 के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों को संपूर्ण भूमि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989¹ की धारा 20 (ई) (1) के तहत जारी 12 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना का विषय है, जो प्रति माह 5% से अधिक की दर से है और 8 फरवरी, 2010 के अधिनिर्णय के संबंध में भुगतान में देरी के लिए 30 मार्च, 2011 से भुगतान की वास्तविक तारीख तक भुगतान में देरी के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें, यानी वह तारीख जिस दिन इस न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2794/2011² "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम सुबोध सिंह" में आदेश पारित किया था।
3. अपीलकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की धारा 20(ई)(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2008 और 16 दिसंबर, 2008 के तहत उत्तर प्रदेश के औरैया तहसील और जिले के गांव ककराही में भूमि अधिग्रहित की थी। 08 फरवरी, 2010 को केवल उस भूमि के संबंध में अधिनिर्णय घोषित किया गया जिसकी प्रत्यर्थियों को आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, 0.0624 हेक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा छूट गया। उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 08 फरवरी, 2010 के अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका³ दायर की, जिसे 12 मई, 2010 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका⁴ दायर की, जिसे दिनांक 30 मार्च, 2011 के निर्णय द्वारा अनुमति दे दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त नहीं हुआ है और अधिनियम की धारा 20 एफ(2) के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, भूमि मालिक दिनांक 8 फरवरी, 2010 के निर्णय के अनुसार भुगतान करने में हुई देरी के लिए प्रत्येक माह की देरी के लिए निर्णय के मूल्य के 5% से कम न होने वाले दर पर अतिरिक्त मुआवजे के हकदार होंगे।
4. उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 12 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना के संदर्भ में भूमि के पूरे हिस्से के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, पुनः 0.0624 हेक्टेयर क्षेत्र अधिग्रहण कार्यवाही से मुक्त रह

1 संक्षेप में 'अधिनियम'

2 [2011] 3 एससीआर 1160:(2011) 11 एससीसी 100

3 रिट सी संख्या 14945/2010

4 एसएलपी (सिविल) संख्या 26410/2010 (अर्थात दीवानी याचिका संख्या 2794/2011)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और याचिका⁵ दायर की, जिसे 20 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे अपीलकर्ता को दो महीने की अवधि के भीतर 0.0624 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ अतिरिक्त मुआवजा भी प्रदान करें।

5. 19 नवंबर, 2016 को प्रत्यर्थियों ने ₹ 2,74,56,000/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार रुपये) की राशि का बैंक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें कहा गया कि यह राशि उच्च न्यायालय द्वारा 20 सितंबर, 2016 को पारित आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को देय मुआवजे के संबंध में है। अतिरिक्त मुआवजे की गणना करते समय प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विलंबित अवधि के लिए इसे दो महीने की अवधि तक सीमित कर दिया।

6. प्रत्यर्थियों द्वारा देरी को केवल दो महीने तक सीमित करने के मुआवजे की पेशकश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एक और याचिका⁶ दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि वह 84 महीने की अवधि के लिए मुआवजे का हकदार था, जो 10,23,28,000/- रुपये (दस करोड़ तेईस लाख और अट्ठाईस हजार रुपये) होगा, जिस पर 31 अगस्त, 2017 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 20 एफ (1) का प्रयोग करके अतिरिक्त मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष जाना चाहिए।

7. अपीलकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि प्रत्यर्थियों ने वर्तमान मामले में पिक एंड चूज़ (सोच विचार करके चुनने) नीति अपनाई है। जबकि उन्होंने श्रीमती कमला देवी एवं अन्य को 66 महीने की देरी के लिए अतिरिक्त मुआवजा दिया है, जो अपीलकर्ता के समान स्थिति वाले व्यक्ति थे और उनकी जमीन भी उसी निर्णय के तहत अधिग्रहित की गई थी, अपीलकर्ता के मामले में प्रत्यर्थियों ने देरी के लिए भुगतान को 84 महीने के बजाय मनमाने ढंग से केवल दो महीने तक सीमित कर दिया है।

8. हमने अभिलेख का परिशीलन किया है और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना है।

9. सर्वप्रथम, हम ध्यान दे सकते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 18 सितंबर, 2017 का आदेश कमला देवी एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका⁷ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19 जुलाई, 2017 के आदेश का संदर्भ देता है और यह दर्ज करता है कि प्रकाशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 0.0890 हेक्टेयर भूमि का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था, क्योंकि उक्त परियोजना के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, बचे हुए क्षेत्र के संबंध में एक और निर्णय⁸ घोषित किया गया और भूमि मालिकों को 66 महीने की अवधि यानी 19 अप्रैल, 2012 से 12 सितंबर, 2017 तक प्रति माह 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया गया। उपरोक्त के आलोक में, यहाँ अपीलकर्ता का यह तर्क देना उचित है कि उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा

5 रिट सी संख्या 63467/2011

6 रिट सी संख्या 39875/2017

7 डब्ल्यूपी संख्या 65267/2012

8 अधिनिर्णय संख्या 1/2011-12, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता है और उसके मामले में, प्रत्यर्थियों को भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए दी गई राशि पर विलंबित भुगतान को केवल दो महीने तक सीमित नहीं रखना चाहिए था।

10. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क को इस दलील पर विवादित किया गया है कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दो महीने से अधिक की विलंबित अवधि के लिए मुआवजे की अनुमति देने वाला ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा 20 सितंबर, 2016 को पारित आदेश पर अवलम्ब लेने की मांग की गई है।

11. उपर्युक्त तर्क पर केवल इसलिए ध्यान दिया गया कि उसे खारिज किया जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा 20 सितंबर, 2016 के अपने आदेश में संदर्भित दो महीने की अवधि केवल राशि का भुगतान करने के लिए थी। ऐसा नहीं है कि प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान को केवल दो महीने की अवधि तक सीमित रखने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया था। वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा 30 मार्च, 2011 को पारित आदेश बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के अध्याय IV क, विशेष रूप से धारा 20 एफ में देखी गई कुछ विसंगतियों को उजागर करते हुए, इस न्यायालय ने धारा 20 एफ (2) के परंतुक का उल्लेख किया और निम्नानुसार टिप्पणी की:

“12. (iii) धारा 20 एफ (2) के दूसरे परंतुक में निर्णय देने में देरी के लिए अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान, देरी के प्रत्येक महीने के लिए निर्णय के मूल्य के पांच प्रतिशत से कम नहीं होने वाले दर से करने की आवश्यकता है। इससे सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ को किसी भी उच्च दर पर अतिरिक्त मुआवजा देने का अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त हो जाता है और अतिरिक्त मुआवजे के रूप में उच्च प्रतिशत का दावा करने वाले "हकदार व्यक्तियों" के कहने पर अनावश्यक मुकदमेबाजी की गुंजाइश बन जाती है। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या प्रति माह न्यूनतम दर का संकेत देने के बजाय वृद्धि की एक निश्चित मासिक दर निर्दिष्ट करना न्याय के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा।

XXXX

XXXX

XXXX

“13. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अधिग्रहण समाप्त नहीं हुआ है, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और अधिग्रहण की चुनौती को खारिज करते हैं। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनिर्णय देने में एक वर्ष से अधिक की देरी को देखते हुए, प्रथम प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 20 एफ (2) के दूसरे परंतुक के तहत उपबन्धित अतिरिक्त मुआवजे का हकदार होगा। पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।”

12. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता प्रत्येक महीने की देरी के लिए निर्णय के मूल्य के 5 प्रतिशत से कम न होने वाले दर से निर्णय देने में देरी के लिए अतिरिक्त मुआवजे का हकदार होगा। हमारी राय में, उच्च न्यायालय के पास कोई कारण नहीं था कि वह अपीलकर्ता को अतिरिक्त मुआवजा निर्धारित करने के लिए कोई मध्यस्थता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

कार्यवाही शुरू करने से रोके, जब इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट कर दिया गया था कि किस प्रकार मुआवजे की गणना की जाएगी तथा शेष भूमि के लिए निर्णय देने में हुई देरी के लिए भुगतान किया जाएगा।

13. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, वर्तमान अपील सफल हो जाती है। अपीलकर्ता को 84 महीनों की अवधि के लिए अधिनिर्णय के मूल्य के कम से कम 5 प्रतिशत की दर से भूमि के बचे हुए हिस्से के लिए अतिरिक्त मुआवजे का हकदार माना जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थियों द्वारा दो महीने की अवधि की देरी के लिए पहले से ही भुगतान की गई राशि, विधिवत समायोजित की जाएगी। शेष राशि आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थियों द्वारा जारी की जाएगी। उपरोक्त राशि के अलावा, अपीलकर्ता उक्त राशि के देय होने की तारीख से प्राप्त होने की तारीख तक प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से गणना की गई बकाया राशि पर साधारण ब्याज का भी हकदार होगा।

14. पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के साथ उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति दी जाती है।

हेडनोट तैयार कर्ता: अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।